सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 520 राँची, बुधवार, 21 आषाढ़, 1938 (श०)

12 जुलाई, 2017 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

15 मई, 2017

कृपया पढ़े:-

1. उपायुक्त, पाकुड़ का पत्रांक-690/गो०, दिनांक 7 अगस्त, 2013
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-2360, दिनांक 6 मार्च, 2014, पत्रांक-11410, दिनांक 2 दिसम्बर, 2014 एवं पत्रांक-9611, दिनांक 3 नवम्बर, 2015
3. उपायुक्त, पाकुड का पत्रांक-335/स्था०, दिनांक 26 दिसम्बर, 2015
4. राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड का पत्रांक- 3292/रा०स०, दिनांक 26 दिसम्बर, 2016

संख्या-5/आरोप-1-533/2014 का.-6207-- श्री रौशन कुमार साह, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच, गृह जिला-गोड्डा), के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अमरापाड़ा के पद पर कार्यावधि से संबंधित आरोप

उपायुक्त, पाकुड़ के पत्रांक-690/गो०, दिनांक 7 अगस्त, 2013 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है । प्रपत्र- 'क' में श्री साह के विरूद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं:-

आरोप सं०-1- आमड़ापाड़ा प्रखण्ड अन्तर्गत इन्दिरा आवास योजना सं०-150/2009-10 (लाभुक-नोचोन मारण्डी, पति-गायना मुर्मू, ग्राम-मोरियो, पंचायत-सिंगारसी) के कार्यान्वयन आप के स्तर से कराया गया है । इस योजना की प्राक्कलित राशि 35000/-रू० के विरूद्ध दो किस्तों में कुल 30000/-रू० का भुगतान किया गया है और योजना का कार्य भी हुआ है । परन्तु लाभुक का कहना है कि उन्हें न तो कोई राशि भुगतान हुई है और न ही ये कभी बैंक या डाकघर गये है । इससे स्पष्ट होता है कि लाभुक का जाली दस्तखत बनाकर राशि कि निकासी की गयी और बिचैलिया के माध्यम से योजना कार्य कराया गया । स्पष्ट है कि आप ने योजनाओं के कार्यान्वयन में कोई नियंत्रण नहीं रखा और बिचैलियों के माध्यम से कार्य कराया जिसके लिए आप भी दोषी है ।

आरोप सं०-2- ग्राम पंचायत-सिंगारसी के अन्तर्गत इन्दिरा आवास योजना संख्या-142/2009-10 (लाभुक-सोनामुनी मुर्मू, पति-वीपान मराण्डी, ग्राम-मोरियो) के योजना का कार्यान्वयन आप के स्तर से कराया गया है । इस योजना की प्राक्कलित राशि-35000/रू० के विरूद्ध दो किस्तों में कुल-30000/रू० का भुगतान किया गया है और योजना का कार्य भी हुआ है । परन्तु इस योजना में भी लाभुक का कहना है कि ना तो वे कभी प्रखण्ड कार्यालय गये हैं और ना हीं कभी बैंक । इससे स्पष्ट होता है कि लाभुक का जाली दस्तखत बनाकर राशि कि निकासी की गयी और बिचैलिया के माध्यम से योजना कार्य कराया गया । जिसके लिए आप दोषी है ।

आरोप सं०-3- ग्राम पंचायत-सिंगारसी के अन्तर्गत इन्दिरा आवास योजना संख्या-151/2009-10 (लाभुक-तालामय हेम्ब्रम, पति-जोतिन, ग्राम-मोरियो) के योजना का कार्यान्वयन आप के स्तर से कराया गया है । लाभुक का कहना है कि उनके पति का नाम देवीलाल मुर्मू है और जितन मुर्मू उनके पति के बड़े भाई हैं । इस योजना की प्राक्कलित राशि 35000/रू० के विरूद्ध दो किस्तों में कुल 30000/रू० का भुगतान किया गया है और योजना में भी लाभुक का कहना है कि न तो वे कभी प्रखण्ड कार्यालय गये हैं और न ही बैंक । इससे स्पष्ट होता है कि लाभुक का जाली दस्तखत बनाकर राशि कि निकासी की गयी और बिचैलिया के माध्यम से योजना कार्य कराया गया, जिसके लिए आप दोषी है ।

आरोप सं०-4- ग्राम पंचायत-सिंगारसी के अन्तर्गत इन्दिरा आवास योजना संख्या-145/2009-10 (लाभुक-होपोनमय सोरेन, पति- पगान टुडू ग्राम-मोरियो) के योजना का कार्यान्वयन आप के स्तर से कराया गया है । इस योजना में कुल प्राक्कलित राशि 35000/रू० के विरूद्ध दो किस्तों में कुल 30000/रू० का

भुगतान किया गया है और योजना में भी लाभुक का कहना है कि न तो वे कभी प्रखण्ड कार्यालय गये हैं और न ही बैंक । इससे स्पष्ट होता है कि लाभुक का जाली दस्तखत बनाकर राशि कि निकासी की गयी और बिचैलियों के माध्यम से योजना कार्य कराया गया, जिसके लिए आप दोषी है ।

आरोप सं०-5- ग्राम पंचायत-सिंगारसी के अन्तर्गत इन्दिरा आवास योजना संख्या-152/2009-10 (लाभुक-जोबा मराण्डी, पति-मिसिल मुर्मू, ग्राम-मोरियो) के योजना का कार्यान्वयन आप के स्तर से कराया गया है । इस योजना की प्राक्कलित राशि 35000/रू० के विरूद्ध दो किस्तों में कुल 30000/रू० का भुगतान किया गया है । इस योजना में भी कार्य हुआ है, परन्तु लाभुक न तो वे कभी प्रखण्ड कार्यालय गये हैं और न ही बैंक । इससे स्पष्ट होता है कि लाभुक का जाली दस्तखत बनाकर राशि कि निकासी की गयी और बिचैलिया के माध्यम से योजना कार्य कराया गया, जिसके लिए आप दोषी है ।

आरोप सं०-6- ग्राम पंचायत-सिंगारसी के अन्तर्गत इन्दिरा आवास योजना संख्या-144 /2011-12 (लाभुक-लखीराम टुडू पति-सुशील टुडू ग्राम-मोरियो) के योजना का कार्यान्वयन आपके स्तर से कराया गया है । इस योजना की प्राक्कलित राशि 35000/रू० के विरूद्ध प्रथम किस्त के रूप में 20000/रू० का भुगतान किया गया है, इस योजना के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि लाभुक द्वारा कहीं टीप-निशान दिया गया है और हस्ताक्षर किया गया है । लेकिन लाभुक को निकासी की गयी है। लेकिन लाभुक को निकासी की गयी राशि की जानकारी नहीं । डाकघर में जाँच करने पर पता चला कि राशि की निकासी हो चुकी है । स्पष्ट है कि गलत व्यक्ति के माध्यम से राशि की निकासी की गयी है, जिसके लिए आप भी दोषी है ।

आरोप सं०-7- ग्राम पंचायत सिंगारसी के अन्तर्गत इन्दिरा आवास योजना संख्या-145/ 2011-12 (लाभुक-लखीराम मराण्डी, पति-कोयमल मराण्डी, ग्राम-मोरियो) के योजना का कार्यान्वयन आपके स्तर से होना है । इस योजना में भी कुल प्राक्कलित राशि 45000/-रू० के विरूद्ध प्रथम किस्त के रूप में 20000/- का भुगतान किया गया है । परन्तु इस योजना कार्य प्रारम्भ ही नहीं किया गया और राशि की निकासी कर सरकारी राशि गबन की गयी जिसके लिए आप भी दोषी है ।

आरोप सं०-8- ग्राम पंचायत सिंगारसी के अन्तर्गत इन्दिरा आवास योजना संख्या-146/ 2009-10 (लाभुक-तालामय टुडू पति-रघुनाथ मुर्मू, ग्राम-मोरियो) के योजना का कार्यान्वयन आपके स्तर से होना है । इस योजना में भी कुल प्राक्कलित राशि 35000/-रू० के विरूद्ध प्रथम किस्त के रूप में 20000/- का भुगतान किया गया है । यह योजना वर्ष 2009-10 की है । प्राक्कलित राशि 35000/-रू० के विरूद्ध प्रथम किस्त के रूप में 20000/- रू० की निकासी की गयी है और मात्र 6‘0‘‘ दीवार की जोड़ाई की गयी

है और उसके बाद कोई कार्य नहीं किया गया है । कार्य पूर्ण नहीं कराने के लिए आप पूर्णरूपेण दोषी है ।

आरोप सं०-9- ग्राम पंचायत सिंगारसी के अन्तर्गत इन्दिरा आवास योजना संख्या-147/2009-10 (लाभुक-मौना हाँसदा, पति-टुडू किस्कू, ग्राम-मोरियो) के योजना का कार्यान्वयन आपके स्तर से होना है। इस योजना में भी कुल प्राक्कलित राशि 35000/- रू० के विरूद्ध कुल दो किस्तों में 30,000/- रू० का भुगतान किया गया है, इस योजना कार्य तो किया गया, परन्तु इसे पूर्ण नहीं कराया गया है, जिसके लिए आप दोषी है ।

आरोप सं०-10- ग्राम पंचायत सिंगारसी के अन्तर्गत इन्दिरा आवास योजना संख्या-141/2009-10 (लाभुक-बाहामुनी हेम्ब्रम, पति होपना टुडू, ग्राम-मोरियो) के योजना का कार्यान्वयन आपके स्तर से होना है । इस योजना में भी कुल प्राक्कलित राशि 35000/-रू० के विरूद्ध कुल 20,000/- रू० का भुगतान किया गया है, इस योजना में मात्र 3'0'' जोड़ाई का कार्य कराया गया और कार्य बन्द है । कार्य पूर्ण नहीं कराने के लिए आप दोषी है ।

आरोप सं०-11- ग्राम पंचायत सिंगारसी के अन्तर्गत इन्दिरा आवास योजना संख्या-153/2009-10 (लाभुक-मंझली हेम्ब्रम, पति- रसका टुडू, ग्राम-मोरिया) के योजना का कार्यान्वयन आपके स्तर से होना है । इस योजना में भी कुल प्राक्कलित राशि 35000/- रू० के विरूद्ध कुल 20,000/- रू० का भुगतान किया गया है, इस योजना में जोड़ाई का कार्य कराया गया है और कार्य बन्द है । योजना कार्य पूर्ण नहीं कराने के लिए आप दोषी है ।

आरोप सं०-12- ग्राम पंचायत-डुमरची के अन्तर्गत इन्दिरा आवास योजना संख्या-398/2010-11 (लाभुक-चुनकू मुर्मू, पति- जोलहा मुर्मू, ग्राम-तिलयपाड़ा) के योजना का कार्यान्वयन आपके स्तर से कराया गया है । लाभुक की मृत्यु वर्ष 2006 में ही हो गयी थी । मृत्यु होने के बाद भी इसके नाम से इन्दिरा आवास योजना स्वीकृत किया गया । लाभुक के पुत्र रायसन मुर्मू द्वारा बयान दिया गया है कि उनके पिता के नाम से स्वीकृत आवास योजना के लिए राशि की निकासी के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है । जबकि इस योजना के विरूद्ध मृत लाभुक के नाम से 44,300/- रू० की फर्जी निकासी कर ली गयी है, जिसमें आपकी संलिप्तता जाहिर होती है ।

आरोप सं०-13- ग्राम पंचायत-जाडाकी के अन्तर्गत इंदिरा आवास योजना संख्या-266/2010-11 (लाभुक-बिटिया बेसरा, पति- बैजल मुर्मू, ग्राम-छोटा तालडीह) के योजना का कार्यान्वयन आपके स्तर से कराया गया है । इस योजना के लाभुक को पूर्व में भी सामान्य इंदिरा आवास योजना का लाभ मिल चुका

है। दोबारा इनके लिए आवास योजना स्वीकृत कर 44,300/- रू० की राशि की निकासी कर ली गयी है, जिसके लिए सीधे तौर पर आप जिम्मेवार है ।

आरोप सं०-14- ग्राम पंचायत-जाडाकी के अन्तर्गत इंदिरा आवास योजना संख्या-263/2010-11 (लाभुक-पार्वती मराण्डी, पति- छुतरा बेसरा, ग्राम-छोटा तालडीह) के योजना का कार्यान्वयन आपके स्तर से कराया गया है । इस योजना के लाभुक को पूर्व में भी सामान्य इन्दिरा आवास योजना का लाभ मिल चुका है । दोबारा इनके लिए आवास योजना स्वीकृत कर 44,300/- रू० का राशि की निकासी कर ली गयी है, जिसके लिए सीधे तौर पर आप जिम्मेवार है ।

आरोप सं०-15- ग्राम पंचायत-जाडाकी के अन्तर्गत इंदिरा आवास योजना संख्या-264/2010-11 (लाभुक-परगना बेसार, पति-ढेना बेसरा, ग्राम-छोटा तालडीह) के योजना का कार्यान्वयन आपके स्तर से कराया गया है । इस योजना के लाभुक के संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि ये इनके माता-पिता नहीं रहने के कारण लाभुक पिछले 6-7 वर्षों से अपने मामा के घर में रहते है, फिर भी इनके नाम से इनके लिए आवास योजना स्वीकृत कर 44,300/- रू० की राशि की निकासी कर ली गयी है, जिसके लिए सीधे तौर पर आप जिम्मेवार है ।

आरोप सं०-16- ग्राम पंचायत-जाडाकी के अन्तर्गत इंदिरा आवास योजना संख्या-64/2009-10 (लाभुक-बाहामुनी बेसरा, पति- सकल टुडू, ग्राम-छोटा तालडीह) के योजना का कार्यान्वयन आपके स्तर से कराया गया है । इस योजना में कुल 30,000/- रू० का भुगतान किया गया है, परन्तु जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि लाभुक को कोई राशि भुगतान नहीं किया गया है, जिसके लिए आप दोषी है ।

आरोप सं०-17- ग्रमा पंचायत-जाडाकी के अन्तर्गत इन्दिरा आवास योजना संख्या-272/2010-11 (लाभुक-झिकरी मुर्मू, पति-अर्जुन मराण्डी, ग्राम-छोटा तालडीह) के योजना का कार्यान्वयन आपके स्तर से कराया गया है । इस योजना में राशि की निकासी की गयी है, लेकिन लाभुक का न तो आवास बना है और न ही राशि लाभुक को मिली है । स्पष्ट है कि फर्जी तरीके से राशि की निकासी की है, जिसके लिए सीधे तौर पर आप जिम्मेवार है ।

आरोप सं०-18- इसी प्रकार ग्राम पंचायत-जाडाकी के अन्तर्गत इन्दिरा आवास योजना संख्या-268/2010-11, 274/2010-11 एवं 67/2010-11 में भी संबंधित लाभुको के नाम से इन्दिरा आवास स्वीकृत की गयी एवं उनकी राशि की फर्जी निकासी कर ली गयी, जिसके लिए आप भी दोषी है ।

आरोप सं०-19- ग्राम पंचायत-जाडाकी के अन्तर्गत इन्दिरा आवास योजना संख्या-264/2010-11 (लाभुक- परगना बेसरा, पति-ढेना बेसरा, ग्राम-छोटा तालडीह) के योजना का कार्यान्वयन आपके स्तर से कराया गया है । इस योजना के लाभुक के संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिवेदन में अंकित किया गया है, ये इनके माता-पिता नहीं रहने के कारण लाभुक पिछले 6-7 वर्षों से अपने मामा के घर में रहते है फिर भी इनके नाम से इनके लिए आवास योजना स्वीकृत कर 44,300/- रू० की राशि की निकासी कर ली गयी है, जिसके लिए सीधे तौर पर आप जिम्मेवार है ।

आरोप सं०-20- उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त इन्दिरा आवास योजना संख्या- 275/2009-10, 233/2010-11, 252/2010-11, 75/2010-11, 397/2010-11, 279/2009-10, 248/2010-11, 249/2010-11, 234/2010-11 एवं 237/2010-11 की योजना जो डुमरचीर पंचायत से संबंधित है, की योजनाएँ ली गयी है, परन्तु उसका निर्माण नहीं कराया गया है और इन योजनाओं की राशि की निकासी कर गबन कर ली गयी है, जिसमें आपकी सहभागिता जाहिर होती है ।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-2360, दिनांक 6 मार्च, 2014 द्वारा श्री साह से स्पष्टीकरण की माँग की गयी एवं पत्रांक-11410, दिनांक 2 दिसम्बर, 2014 द्वारा इन्हें स्मारित भी किया गया, जिसके अनुपालन में श्री साह के पत्रांक-201/वि०, दिनांक 25 फरवरी, 2015 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है ।

श्री साह द्वारा स्पष्टीकरण में समर्पित तथ्य निम्नवत् है:-

आरोप सं०-1 पर स्पष्टीकरण- आरोप संख्या-1 के संबंध में इनका कहना है कि अमड़ापाड़ा प्रखण्ड के अन्तर्गत इन्दिरा आवास योजना सं०-150/2009-10 (लाभुक- नोचोन मरांडी, पति-गायना मुर्मू, ग्राम-मोरियो, पंचायत- सिंगारसी) के कार्यान्वयन इनके समय में कराया गया है, जिसकी प्राक्कलित राशि 35,000/- रू० है, जिसके विरूद्ध दो किस्तों में 30,000/- रू० का भुगतान किया गया है । इंदिरा आवास मार्गदर्शिका के आलोक में इंदिरा आवास निर्माण से संबंधित प्रतीक्षा सूची 419 एवं तत्कालीन पंचायत सेवक, श्री नवमाली साह के पहचान पर एकरारनामा किया गया । लाभुक की वास्तविक पहचान हेतु अभिलेख की दायीं ओर लाभुक का फोटो भी चिपकाया गया । एकरारनामा के पश्चात् प्रथम अग्रिम दिनांक 22 अक्टूबर, 2009 को संबंधित पंचायत सेवक की अनुशंसा पर 20,000/- रू० दिया गया, जो लाभुक के खाता सं०-120995 डाकघर- डुमरचीर में भेजा गया । द्वितीय अग्रिम दिनांक 25 अगस्त, 2011 को तत्कालीन पंचायत सेवक श्री प्रमोद कुमार मिश्रा के अनुशंसा के आलोक में चेक सं०-553889, पत्रांक-753/वि०, दिनांक 15 सितम्बर, 2011 के द्वारा लाभुक के संधारित खाता सं०-120995 डाकघर डुमरचीर को भुगतान हेतु एडभाइस के माध्यम भेज दिया गया । प्रथम अग्रिम दिये जाने के बाद लाभुक के द्वारा दिये गये कार्यों की फोटोग्राफी तथा पंचायत सेवक की अनुशंसा के आलोक में ही द्वितीय अग्रिम दी गई। भुगतान की गई राशि की प्रक्रिया में तत्कालीन पंचायत सेवक

एवं पोस्टमास्टर डुमरचीर एवं लाभुक के बीच के संबंध की जानकारी इन्हें नहीं है, क्योंकि कभी भी लाभुक ने भुगतान की समस्या के संबंध में लिखित या मौखिक शिकायत नहीं की । जबकि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पाकुड़ के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रमाणित होता है कि लाभुक का इंदिरा आवास का निर्माण हुआ है, भले ही उसकी प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सहमति से विचैलिया के माध्यम से ही बना हो, क्योंकि लाभुक के जमीन पर बिना उनकी सहमति से इन्दिरा आवास नहीं बन सकता है । इस प्रकार लाभुक के द्वारा ही विचैलिया को रखा गया है, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है । इस प्रकार लाभुक को इन्दिरा आवास के निर्माण हेतु किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया गया है तो इसके लिये क्रमशः पंचायत सेवक, पोस्टमास्टर, विचैलिया दोषी ठहराया जा सकता है । जहाँ तक योजनाओं के कार्यान्वयन पर नियंत्रण नहीं रखने तथा विचैलिया के माध्यम से कार्य कराये जाने का आरोप है, इस संबंध में स्पष्ट कहना है कि इनके द्वारा लाभूक का चयन इन्दिरा आवास निर्माण हेतु तैयार प्रतीक्षा सूची, लाभुक के उपस्थिति में एकरारनामा तथा उनके द्वारा फोटो प्राप्त कर अभिलेख में चिपकवाना तथा किये गये कार्यों की प्रगति फोटो प्राप्त कराना तत्पश्चात् पंचायत सेवक के अनुशंसा के आधार पर डाकघर डुमारचीर में उसके संबंधित खाते में चेक/एडभाइस योजना यह स्पष्ट प्रमाणित कराते है कि योजना के कार्यान्वयन में पूरा नियंत्रण रख गया तथा किसी भी विचैलिया को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया । विचैलिया संज्ञान में आने पर कांड सं०-12/12, दिनांक 9 फरवरी, 2012 प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की है । अतएव आरोप पूर्णतः निराधार एवं साक्ष्य विहिन है ।

आरोप सं०-2 पर स्पष्टीकरण-आरोप सं०-2 के संबंध में कहना है कि ग्राम पंचायत सिंगारसी के अन्तर्गत इन्दिरा आवास सं०-142/2009-10 लाभुक सेनामुनी मुर्मू, पति बिपान मराण्डी, ग्राम-मोरियो के योजना का कार्यान्वयन इनके पदस्थापन अवधि में कराया गया है, जिसकी प्राक्कलित राशि 35,000/- रू० है, जिसके विरूद्ध दो किस्तों में कुल 30,000/- रू० के भुगतान किया गया है । इंदिरा आवास निर्माण से संबंधित मार्गदर्शिका के आलोक में प्रखण्ड स्तर पर तैयार लाभुक चयन प्रतीक्षा सूची क्रमांक 386 के आधार पर लाभुक श्रीमती सोनामुनी मुर्मू पति- बिपान मराण्डी ग्राम- मोरियो का चयन किया गया एवं तत्कालीन पंचायत सेवक श्री बनमाली साह के पहचान पर लाभुक का फोटो मिलान करने के बाद लाभुक की उपस्थिति में एकरारनामा किया गया । लाभुक की वास्तविक पहचान हेतु स्थायी रूप से अभिलेख की दायी ओर लाभुक का फोटो भी चिपकवाया गया । एकरारनामा के पश्चात् 22 अक्टूबर, 2009 को पंचायत सेवक की अनुशंसा पर कार्य प्रारंभ करने हेतु बतौर प्रथम अग्रिम 20,000/- रू० का चेक दिया गया, जो एडभाइस के माध्यम से डाकघर डुमरचीर में संधारित लाभुक के खाता सं०- 121004 में भेज दिया गया । कार्य में प्रगति होने पर द्वितीय अग्रिम 10,000/- रू० दिनांक 25 अगस्त, 2011 को तत्कालीन पंचायत सेवक श्री प्रमोद कुमार मिश्र के अनुशंसा के आलोक में चेक

सं०-553889, पत्रांक-735/वि०, दिनांक 15 सितम्बर, 2011 के द्वारा लाभुक के खाता सं०-121004 में पोस्ट मास्टर डुमरचीर को भुगतान हेतु एडभाइस के माध्यम से भेज दिया गया (20,000/- रू० प्रथम अग्रिम दिये जाने के बाद लाभुक के द्वारा किये गये कार्यों की फोटो ग्राफी तथा पंचायत सेवक के अनुशंसा के आलोक में द्वितीय किस्त की अग्रिम राशि दी गयी) । भुगतान की गई राशि की निकासी की प्रक्रिया में तत्कालीन पंचायत सेवक, पोस्ट मास्टर, डाकघर डुमरचीर एवं लाभुक के बीच किस प्रकार हुआ इसकी जानकारी मुझे नहीं हो पाई, क्योंकि कभी भी लाभुक पोस्ट मास्टर एवं पंचायत सेवक ने भुगतान की समस्या के संबंध में कोई किशयत नहीं की, जबकि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पाकुड़ के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रमाणित होता है कि लाभुक के इन्दिरा आवास का निर्माण हुआ है, भले ही वह विचैलिया के माध्यम से बना हो । लाभुक के जमीन पर बिना उनकी सहमति से इन्दिरा आवास नहीं बन सकता है । कहीं न कहीं लाभुक की प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सहमति विचैलिये से हो और नहीं भी हो तो उस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है । आखिर यह लाभुक को सोचना चाहिए था कि बिना पैसे का मेरा इन्दिरा आवास कैसे बन रहा है । लाभुक का यह कहना है कि इंदिरा आवास के निर्माण हेतु न कभी प्रखण्ड/पोस्ट ऑफिस/बैंक गए है । यह समझ से परे है । लाभुक को इंदिरा आवास के निर्माण हेतु किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया गया है तो इसके लिए क्रमशः संबंधित पंचायत सेवक, पोस्ट मास्टर, मुडरचीर एवं विचैलिया जिनपर प्राथमिकी दर्ज की गयी है, दोषी कहलाये जा सकते है क्योंकि जाली हस्ताक्षर करा कर राशि की निकासी करने में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का कोई भूमिका नहीं होती है। यह एक निरूपित सत्य (Established fact) है ।

आरोप सं०-3 पर स्पष्टीकरण-ग्राम पंचायत सिंगारसी के अन्तर्गत इन्दिरा आवास योजना सं०-151/2009-10 (लाभुक श्रीमती तालामय हेम्ब्रम, पति-जोतिन, ग्राम- मोरियो) के योजना के कार्यान्वयन इनके पदस्थापन अवधि में ही कराया गया है, जिसकी प्राक्कलित राशि 35,000/- रू० है, जिसके विरूद्ध दो किस्तों में कुल 30,000/- रू० का भुगतान किया गया है । इन्दिरा आवास निर्माण प्रतीक्षा सूची के क्रमांक-428 के आधार पर लाभुक श्रीमती तालामय हेम्ब्रम, पति-जोतिन, ग्राम-मोरियो का चयन किया गया एवं तत्कालीन पंचायत सेवक श्री बनमाली साह के पहचान पर लाभुक का फोटो मिलान करने के बाद लाभुक की उपस्थिति में एकरारनामा किया गया । पंचायत सेवक की अनुशंसा पर कार्य प्रारंभ करने हेतु बतौर प्रथम अग्रिम 20,000/- रू० एडभाइस के माध्यम से डाकघर डुमरचीर में संबंधित लाभुक को खाता संख्या-121008 में भेज दिया गया । कार्य में प्रगति लाने हेतु द्वितीय अग्रिम की राशि 10,000/- रू० तत्कालीन पंचायत सेवक श्री प्रमोद कुमार मिश्रा के अनुशंसा के आलोक में चेक सं0-553889, पत्रांक-735/वि०, दिनांक 15 सितम्बर, 2011 द्वारा लाभुक के खाता सं०- 121008 में पोस्ट मास्टर डुमरचीर को भुगतान हेतु एडभाइस के माध्यम से भेज दिया गया । प्रथम अग्रिम दिये जाने के बाद लाभुक के द्वारा किये गये कार्यों का फोटोग्राफी तथा पंचायत सेवक के अनुशंसा के आलोक में

द्वितीय अग्रिम राशि दी गयी । भुगतान की गई राशि की निकासी के प्रक्रिया में तत्कालीन पंचायत सेवक, पोस्ट मास्टर, डाकघर डुमरचीर एवं लाभुक के बीच इस प्रकार की गड़बड़ी या जालसाजी हुआ है। जबकि जाँचकर्त्ता जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पाकुड़ के जाँच प्रतिवेदन में उस बात का स्पष्ट वर्णन है कि इन्दिरा का आवास का निर्माण हुआ है । घर ईंट, मिट्टी और टाली का बना हुआ है । भले वह निर्माण कार्य विचैलिया के माध्यम से ही हुआ हो । लाभुक की जमीन पर बिना उनकी सहमति से इन्दिरा आवास नहीं बन सकता है । इस प्रकार लाभुक का यह बयान कि इन्दिरा आवास के निर्माण हेतु न कभी प्रखण्ड पोस्ट ऑफिस न बैंक गए है, यह समझ से परे की बात है । इस प्रकार जाँच प्रतिवेदन के आधार पर लाभुक के बयान की सत्यता भी संदेहास्पद है । जहाँ तक जाली हस्ताक्षर कराकर पैसे निकासी का सवाल है, उसमें प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि पोस्ट मास्टर अपने विश्वसनीय व्यक्ति की पहचान पर ही पैसे का भुगतान कराते हैं । उसमें पोस्ट मास्टर की अहम भूमिका होती है । जिसे जिला आपूर्ति पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित भी की गई है ।

आरोप सं०-4 पर स्पष्टीकरण-योजना संख्या-145/2009-10 का कार्यान्वयन इनके पदस्थापन अवधि में ही कराया गया है, जिसकी प्राक्कलित राशि 35000/रू० के विरूद्ध दो किस्तों में कुल 30000/रू० का भुगतान किया गया है । चयन सूची के क्रमांक-399 के आधार पर लाभुक-श्रीमती होपनमय सोरेन, पति- पगान टुडू ग्राम-मोरियो का चयन किया गया । तत्कालीन पंचायत सेवक श्री बनमाली साह के पहचान पर लाभुक का फोटो प्राप्त कर फोटो से मिलान कर लाभुक की उपस्थिति में एकरारनामा किया गया । लाभुक के वास्तविक पहचान हेतु अभिलेख के दायी ओर फोटो भी चिपकाया गया । एकरारनामा के पश्चात् 22 अक्टूबर, 2009 को पंचायत सेवक के अनुशंसा पर कार्य प्रारंभ करने हेतु बतौर प्रथम अग्रिम 20,000/- रू० एडभाइस के माध्यम से डाकघर डुमरचीर में संधारित लाभुक के खाता सं०-121001 में भेज दिया गया । कार्य में प्रगति लाने हेतु द्वितीय अग्रिम की राशि 10,000/- रू० चेक सं०-553889, पत्रांक-735/वि०, दिनांक 15 सितम्बर, 2011 द्वारा तत्कालीन पंचायत सेवक श्री प्रमोद कुमार मिश्रा के अनुशंसा के आलोक में लाभुक के खाता सं०- 121001 में पोस्ट मास्टर डुमरचीर को भुगतान हेतु एडभाइस के माध्यम से भेज दिया गया । प्रथम अग्रिम दिये जाने के बाद लाभुक के द्वारा किये गये कार्यों का फोटोकोपी तथा पंचायत सेवक के अनुशंसा के आलोक में द्वितीय अग्रिम राशि दी गयी । भुगतान की गई राशि की प्रक्रिया में तत्कालीन पंचायत सेवक, पोस्ट मास्टर, डाकघर डुमरचीर एवं लाभुक के बीच के संबंध की जानकारी नहीं थी, क्योंकि कभी भी लाभुक, पोस्ट मास्टर या पंचायत सेवक ने भुगतान की समस्याओं के संबंध में कोई शिकायत नहीं की । जबकि जाँचकर्त्ता जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने यह प्रतिवेदित किया कि लाभुक का घर लिन्टर तक ईंट एवं मिट्टी से बना हुआ है । भले यह निर्माण कार्य विचैलिया के माध्यम से ही हुआ हो । लाभुक की जमीन पर

बिना उनकी सहमति से इन्दिरा आवास नहीं बन सकता है । कहीं न कहीं लाभुक की सहमति छिपे रूप से सही विचैलिया से है । अगर नहीं भी हो तो उस संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लाभुक के द्वारा 500/- रू० विचैलिया को रिश्वत देने का बयान भी दिया गया है । अगर लाभुक को यह जानकारी होनी चाहिए कि बिना पैसे का मेरा इन्दिरा आवास कैसे बन रहा है । इस प्रकार लाभुक का बयान कि इन्दिरा आवास के निर्माण हेतु न कभी प्रखण्ड कार्यालय, पोस्ट ऑफिस न बैंक गये है । अपने आप में विरोधाभास का विषय है । इस प्रकार जाँच प्रतिवेदन के आधार पर लाभुक के बयान की सत्यता भी संदेहास्पद है । पोस्ट मास्टर खाताधारी के हस्ताक्षर/टीप निशान का मिलान कर या विश्वासनीय व्यक्ति के पहचान पर ही पैसे का भुगतान करते हैं । इस प्रकार जालसाजी कर पैसे की निकासी करने में पोस्ट मास्टर पहचानकर्त्ता एवं उसके विचैलिया की अहम भूमिका है । यद्यपि दोषी पोस्ट मास्टर/पहचानकर्त्ता एवं विचैलिया पर कानूनी कार्यवाही की गयी है ।

आरोप सं०-5 पर स्पष्टीकरण-योजना सं०-152/2009-10 का कार्यान्वयन इनके पदस्थापन अवधि में ही कराया गया है, जिसकी प्राक्कलित राशि 35,000/- रू० है, जिसके विरूद्ध दो किस्तों में 30,000/- रू० का भुगतान किया गया है । प्रतीक्षा सूची के क्रमांक 424 के आधार पर लाभुक श्रीमती जोवा मरांडी, पति- मिशल मुर्मू, ग्राम- मोरिया का चयन किया गया । तत्कालीन पंचायत सेवक श्री बनमाली साह के पहचान पर लाभुक का फोटो मिलान करने के बाद लाभुक की उपस्थिति में एकरारनामा किया गया । लाभुक के वास्तविक पहचान हेतु स्थायी रूप से अभिलेख की दायी ओर फोटो भी चिपकवाया गया । एकरारनामा के पश्चात् दिनांक 22 अक्टूबर, 2009 को पंचायत सेवक की अनुशंसा पर कार्य प्रारंभ करने हेतु बतौर प्रथम अग्रिम 20,000/- रू० एडभाइस के माध्यम से डाकघर डुमरचीर में संधारित लाभुक के खाता सं०-121000 में भेज दिया गया । कार्य में प्रगति लाने हेतु द्वितीय अग्रिम की राशि 10,000/- रू० तत्कालीन पंचायत सेवक श्री प्रमोद कुमार मिश्रा के अनुशंसा के आधार पर चेक सं०- 553889, पत्रांक-735/वि०, दिनांक 15 सितम्बर, 2011 के द्वारा लाभुक के खाता सं०-121000 में पोस्ट मास्टर डुमरचीर को भुगतान हेतु एडभाइस के माध्यम से भेज दिया गया । इस प्रकार प्रथम अग्रिम दिये जाने के बाद लाभुक के द्वारा किये कर्यों का फोटोग्राफी तथा पंचायत सेवक के अनुशंसा के आलोक में द्वितीय किस्त अग्रिम राशि दी गयी । भुगतान की गयी राशि की निकासी की प्रक्रिया में तत्कालीन पंचायत सेवक, पोस्ट मास्टर डाकघर डुमरचीर एवं लाभुकों के बीच किस प्रकार की गड़बड़ी या जालसाजी हुआ है यह इनके संज्ञान में कभी नहीं आया, क्योंकि कभी भी लाभुक, पोस्ट मास्टर ने भुगतान की समस्या के संबंध में कोई शिकायत नहीं की । जबकि जाँचकर्त्ता जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पाकुड़ ने जाँच प्रतिवेदन के उस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि लाभुक के इन्दिरा आवास का निर्माण हुआ है । भले ही निर्माण कार्य विचैलिया के माध्यम से हुआ हो । लाभुक की जमीन पर बिना उसकी सहमति से इन्दिरा आवास नहीं बन सकता है । कही न कही लाभुक की प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष

सहमति विचैलिये से रहा है । अगर नहीं तो भी इस संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता । आखिर लाभुक को यह जानकारी होना चाहिए कि बिना पैसे का मेरा इन्दिरा आवास मेरे जमीन पर कैसे बन रहा है । इस प्रकार लाभुक का यह बयान कि इन्दिरा आवास के निर्माण हेतु न कभी प्रखण्ड, पोस्ट ऑफिस, ना बैंक गये है, यह समझ से परे की बता है । जहाँ तक जाली हस्ताक्षर कर राशि निकासी का सवाल है, इसमें प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की कोई भूमिका नहीं होती है । क्योंकि पोस्ट मास्टर अपने विश्वसनीय व्यक्ति की पहचान कर पैसे की भुगतान करते है । इसमें पोस्ट मास्टर की अहम भूमिका होती है ।

आरोप सं०-6 पर स्पष्टीकरण-योजना संख्या-144/2011-12 का कार्यान्वयन इनके पदस्थापन अवधि में कराया गया है । इस योजना में कुल प्राक्कलित राशि 35000/रू० चेक सं०-554090 दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा पंचायत सचिव सुभाशीष सिंह के अनुशंसा पर खाता सं०-121006 के एडभाइस के माध्यम से भुगतान किया गया है एवं द्वितीय अग्रिम पंचायत सचिव के अनुशंसा 10,000/- रू० चेक सं०-553895 द्वारा खाता सं०-121006 में भेजा गया । जहाँ तक लाभुक के द्वारा राशि की निकासी हेतु टीप निशान या हस्ताक्षर करने की बात है । यह पूर्णतः पहचानकर्त्ता, बिचैलिया और पोस्ट मास्टर के मिलीभगत का मामला है, जिस पर विधि सम्मत कार्रवाई की गयी है और पुलिस अनुसंधान में यह सत्य पाया भी गया है ।

आरोप सं०-7 पर स्पष्टीकरण-योजना संख्या-145/2011-12 का कार्यान्वयन इनके पदस्थापन अवधि में हुआ है, जिसकी प्राक्कलित राशि 45000/-रू० मात्र है, जिसमें प्रथम अग्रिम के रूप में 20,000/- रू० दिये जाने का उल्लेख है । जबकि मेरे द्वारा प्रथम अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया गया है । प्राथमिकी दर्ज करने वाले प्र०वि०पदा०-सह-जून सूचना पदा०, अमड़ापाड़ा के द्वारा पत्रांक-270/वि०, दिनांक 12 जून, 2013 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि कोई अग्रिम का भुगतान नहीं किया गया है । अतः सरकारी राशि के गबन का आरोप सरासर गलत है ।

आरोप सं०-8 पर स्पष्टीकरण-योजना संख्या-146/ 2009-10 का कार्यान्वयन इनके पदस्थापन अवधि में हुआ है, जिसकी प्राक्कलित राशि 35,000/- रूपये है, जिसके विरूद्ध प्रथम किस्त में 20,000/- रू० का भुगतान किया गया है । इंदिरा आवास योजना से संबंधित मार्गदर्शिका के आलोक में प्रखण्ड स्तर पर तैयार लाभुक चयन प्रतीक्षा सूची के क्रमांक-425 के आधार पर लाभुक श्रीमती टुडू का चयन किया गया । तत्कालीन पंचायत सेवक बनमाली साह के चयन पर लाभुक के फोटो मिलान करने के बाद लाभुक की उपस्थिति में एकरारनामा किया गया । इसके पश्चात् दिनांक 22 अक्टूबर, 2009 को प्रथम

अग्रिम 20,000/- रू० का चेक दिया गया । अब लाभुक के द्वारा 6 फीट दीवार उठाने के बाद कोई कार्य नहीं किया गया है ।

आरोप सं०-9 पर स्पष्टीकरण-योजना संख्या-147/2009-10 का कार्यान्वयन में प्राक्कलित राशि 35000/- रू० के विरूद्ध दो किस्तों में 30,000/- रू० का भुगतान किया गया है । प्रतीक्षा सूची के क्रमांक 430 के आधार पर श्रीमती हांसदा का चयन किया गया । तत्कालीन पंचायत सेवक बनमाली साह के पहचान पर प्रथम अग्रिम 20,000/- रू० एडभाइस के माध्यम से डाकघर डुमरचीर में संधारित लाभुक के खाता सं०-120997 में भेज दिया गया । कार्य में प्रगति लाने हेतु द्वितीय अग्रिम की राशि 10,000/- रू० चेक सं०-553889 पत्रांक-735/वि०, दिनांक 15 सितम्बर, 2011 द्वारा तत्कालीन पंचायत श्री प्रमोद कुमार मिश्रा के अनुशंसा पर डाकघर डुमरचीर में संधारित लाभुक के खाता सं०-120997 में भेज दिया गया । जाँचकर्त्ता जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पाकुड़ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि लाभुक का घर ईंट एवं टाली का बना हुआ है । योजना कार्य पूर्ण है । जब योजना कार्य पूर्ण है तो यह कहना कि आपके द्वारा योजना कार्य पूर्ण नहीं करने के लिए दोषी हैं, यह विरोधाभासी है ।

आरोप सं०-10 पर स्पष्टीकरण-योजना संख्या-141/2009-10 का कार्यान्वयन के अन्तर्गत प्राक्कलित राशि 35000/-रू० के विरूद्ध कुल 20,000/- रू० का भुगतान किया गया है । दिनांक 22 अक्टूबर, 2009 के एकरारनामा के अन्तर्गत तत्कालीन पंचायत सेवक के अनुशंसा पर प्रथम अग्रिम 20,000/- रू० का चेक दिया गया है । लाभुक द्वारा तीन फीट की जोड़ाई की गयी है । इसके बाद जाँच के क्रम में लाभुक की कई बार खोज की गयी, पर ये घर पर नहीं मिलें । पता चला कि ये कमाने के लिए बाहर चले गये हैं। फलस्वरूप उन्हें अग्रिम राशि नहीं दी गयी । इसके लिए लाभुक एवं पंचायत सेवक दोषी हैं ।

आरोप सं०-11 पर स्पष्टीकरण-योजना संख्या-153/2009-10 के अन्तर्गत प्राक्कलित राशि 35000/- रू० के विरूद्ध कुल 20,000/- रू० प्रथम अग्रिम का भुगतान डाकघर डुमरचीर में संधारित खाता सं०-120996 एडभाइस के माध्यम से किया गया । जाँचकर्त्ता द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि लाभुक के द्वारा छत स्तर तक ईंट मिट्टी से जोड़ाई किया गया है । योजना में आगे का कार्य बंद पाये जाने पर लाभुक की खोज की गयी, वे नहीं मिले । पता चला कि वे कमाने के लिए बाहर गये हैं । योजना पूर्ण कराने के लिए लाभुक दोषी हैं ।

आरोप सं०-12 पर स्पष्टीकरण-योजना संख्या-398/2010-11 के अन्तर्गत पंचायत सेवक जाकीर हुसैन के अनुशंसा के आलोक में योजना कार्य किया गया था । लाभुक की मृत्यु 2006 में हो गयी थी ।

मृत्यु होने के बाद भी उनके नाम से योजना स्वीकृत कर प्राक्कलित राशि 45,000/- के विरूद्ध 40,300/- रू० की फर्जी निकासी कर ली गयी है । संज्ञान में बात आने पर जवाबदेही तय कराते हुए फर्जी निकासी की राशि वसूली करा ली गयी, जिसका NR No. JD/01 221884 है । इस प्रकार सरकारी राशि की क्षति नहीं हुई । इसके लिए संबंधित पंचायत सेवक दोषी हैं ।

आरोप सं०-13 पर स्पष्टीकरण-योजना संख्या-266/2010-11 के अन्तर्गत संबंधित पंचायत सेवक क्रमशः शाहाजुद्धीन शेख, श्री बनमाली साह एवं जाकीर हुसैन के अनुशंसा पर प्राक्कलित राशि 45,000/- रू० के विरूद्ध 44,3000/- रू० की निकासी कर ली गई थी । निरीक्षण में पाया गया कि इन्हें पूर्व में आवास आवंटित हुई थी । अतः एकमुस्त वसूली कर ली गई, जिसका NR No. JD/01 221882 है । इस प्रकार सरकारी राशि की कोई क्षति नहीं हुई ।

आरोप सं०-14 पर स्पष्टीकरण-योजना संख्या-263/2010-11 के अन्तर्गत पंचायत सेवक मो० शाहाजुद्धीन शेख के अनुशंसा पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय अग्रिम क्रमशः शाहाजुद्धीन शेख, श्री बनमाली साह एवं जाकीर हुसैन की अनुशंसा पर कर दिया गया । लाभुक पूर्व में भी इंदिरा आवास योजना से लाभान्वित था । अतः पंचायत सेवक को नोटिस देकर एक मुस्त राशि की वूसली कर ली गयी, जिसका NR No. JD/01 221883 है । इस प्रकार सरकारी राशि की कोई क्षति नहीं हुई है ।

आरोप सं०-15 पर स्पष्टीकरण-इस योजना की स्वीकृति तत्कालीन पंचायत सेवक शाहाजुद्धीन शेख के अनुशंसा पर क्रमशः प्रथम अग्रिम 20,000/- रू० चेक सं०-722847, द्वितीय अग्रिम 20,000/- रू० चेक सं०-553937, अंतिम किस्त 43,000/- रू० चेक सं०-573531 का भुगतान डाकघर डुमरचीर में संधारित खाता संख्या-122032 में एडभाइस के माध्यम से दिया गया । जाँच पदाधिकारी का कहना है कि माता-पिता के नहीं रहने के कारण लाभुक मामा के घर पर रहते थे, यह कथन सत्य है । लाभुक को रहने के लिए घर नहीं था, इसलिए वह मामा के घर पर रहते थे । इनका मकान पूर्ण है, इसलिए राशि गबन का मामला नहीं । वर्तमान में लाभुक अपने घर में निवास करते हैं ।

आरोप सं०-16 पर स्पष्टीकरण-तत्कालीन पंचायत सेवक के अनुशंसा पर क्रमशः प्रथम अग्रिम दिनांक 19 अगस्त, 2009 को 20,000/- रू० दिनांक 10 अक्टूबर, 2011 को द्वितीय अग्रिम 10,000/- रू० चेक सं०-553902, कुल 30,000/- रू० का भुगतान डाकघर डुमरचीर में संधारित खाता सं०-110437 में एडभाइस के माध्यम से भुगतान किया गया है । जाँच के क्रम में पाया गया कि लाभुक का घर ईंट मिट्टे के दिवाल से बना हुआ है । छत का निर्माण नहीं हुआ है । सभी राशि को डाकघर में संधारित लाभुक के खाता सं०-110437 में भेजा गया है ।

आरोप सं०-17 पर स्पष्टीकरण-इस योजना में प्राक्कलित राशि 45,000/- रूपये मात्र है, जिसके विरूद्ध लाभुक को तत्तकालीन पंचायत सेवक क्रमशः शहाजद्दीन शेख के अनुशंसा पर दिनांक 31 अक्टूबर, 2010 को प्रथम अग्रिम के रूप में क्रमशः 20,000/- रू० चेक सं०-722847, द्वितीय अग्रिम 20,000/- तत्कालीन पंचायत सेवक बनमाली साह के अनुशंसा पर चेक सं०-553902 एवं अंतिम अग्रिम 4,300/- रू० चेक सं०-573531 द्वारा भुगतान किया गया । लाभुक के डुमरचीर पोस्ट ऑफिस में खाता सं०-122029 में भेजा गया है । जाँच पदाधिकारी का कहना है कि स्थल पर इंदिरा आवास नहीं बना है जबकि घर टाली तक का कार्य पूर्ण हुआ है । जहाँ तक फर्जी निकासी का प्रश्न है, इसमें कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि पोस्ट मास्टर अपने विश्विनीय व्यक्ति की पहचान पर राशि का भुगतान करते हैं । इसके लिए पोस्ट मास्टर दोषी है न की मैं ।

आरोप सं०-18 पर स्पष्टीकरण-योजना सं०-274/2010-11 की प्राक्कलित राशि 45,000/- रू० मात्र है, जिसके विरूद्ध तत्कालीन पंचायत सेवक श्री बनमाली साह के अनुशंसा के आधार पर क्रमशः प्रथम अग्रिम 20,000/- रू० चेक सं0- 722847, द्वितीय अग्रिम 20,000/- रू0 चेक सं0-553937, तृतीय अग्रिम 4,300/- रू० चेक सं०-573531 के माध्यम से लाभुक के खाता सं0-122028 में भेजा गया है। जाँच प्रतिवेदन से प्रमाणित होता है कि इसमें पोस्ट मास्टर और मुखिया की सांठ-गाँठ से राशि की निकासी की गयी । योजना संख्या- 268/2010-11 की प्राक्कलित राशि 45,000/- रू० मात्र है, जिसके विरूद्ध प्रथम अग्रिम तत्कालीन पंचायत सेवक मो० शहाजुद्दीन शेख के अनुशंसा के आधार पर 20,000/- रू० चेक सं०-722847, द्वितीय अग्रिम तत्कालीन पंचायत सेवक श्री बनमाली साह के अनुशंसा के आधार पर 20,000/- रू० चेक सं०- 553937, तृतीय अग्रिम 4,300/- रू० चेक सं०-573531 के माध्यम से लाभुक के खाता सं०-122037 में भेज दिया गया । जाँचकर्त्ता के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि लाभुक का घर ईंट, मिट्टी एवं टाली का बना हुआ है । योजना सं०-67/2010-11 के बारे में कोई जाँच प्रतिवेदित नहीं है । लाभुक का यह कहना कि उनका घर बिचैलिया के द्वारा बनवाया गया है, इसमें पोस्ट मास्टर एवं लाभुक का मिलीभगत हो सकता है, क्योंकि निकासी पोस्ट मास्टर द्वारा पहचान के पश्चात् ही किया जाता है ।

आरोप सं०-19 पर स्पष्टीकरण-आरोप सं०-19 एवं 15 एक ही आरोप है, जिसका स्पष्टीकरण आरोप सं०-15 में दिया गया है ।

आरोप सं०-20 पर स्पष्टीकरण-योजना संख्या- 275/2009-10 में लाभुक श्री ढेना मराण्डी के आवास का निर्माण कार्य पूर्ण है । योजना संख्या-233/2010-11 में लाभुक श्रीमती सुनोमुनी बास्की के आवास का निर्माण कार्य पूर्ण है । योजना संख्या-252/2010-11 में लाभुक श्रीमती फुलमुनी टुडू को खाता सं०-

110015978 के माध्यम से भुगतान हुआ है एवं आवास का निर्माण कार्य पूर्ण है । योजना संख्या-397/2010-11 में लाभुक श्री मुंशी मराण्डी को खाता सं०- 1100155111 के माध्यम से भुगतान हुआ है एवं आवास का निर्माण कार्य पूर्ण है । योजना संख्या-279/2009-10 में जाँचकर्त्ता द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि लाभुक का घर ईंट, मिट्टी एवं टाली का बना हुआ है । योजना संख्या-248/2010-11 में लाभुक श्रीमती होपनी हेम्ब्रम को खाता सं०-110015974 में एडभाइस के माध्यम से भुगतान हुआ है एवं इनका घर ईंट, मिट्टी का बना हुआ पूर्ण पाया गया है । योजना संख्या-249/2010-11 में लाभुक श्रीमती चुड़की हांसदा को खाता सं०- 110015975 के माध्यम से भुगतान हुआ है एवं आवास का निर्माण कार्य पूर्ण है । योजना संख्या-234/2010-11 में लाभुक श्री छुतर मराण्डी को खाता सं०-110014472 के माध्यम से भुगतान हुआ है एवं इनका घर ईंट, मिट्टी का बना हुआ पाया गया है। योजना संख्या-237/2010-11 में लाभुक श्रीमती मरांगकुड़ी टुडू को खाता सं०- 110014466 के माध्यम से भुगतान हुआ है एवं इनका घर ईंट, मिट्टी का बना हुआ है, जैसा कि जाँचकर्त्ता के द्वारा पाया गया है । योजना संख्या-75/2010-11 में जाँचकर्त्ता द्वारा कोई प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया है । इनका कहना है कि उपर्युक्त वर्णित योजनाओं की राशि की निकासी कर ली गयी है, उसमें इनकी कोई सहभागिता जाहिर नहीं होती है । इस प्रकार इनका कहना है कि राशि गबन में इनकी सहभागिता है, पूर्णतः निराधार है ।

श्री साह के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-9611, दिनांक 3 नवम्बर, 2015 द्वारा उपायुक्त, पाकुड़ से मंतव्य की माँग की गयी है, जिसके अनुपालन में उपायुक्त, पाकुड के पत्रांक-335/स्था०, दिनांक 26 दिसम्बर, 2015 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें उल्लेख है कि- "श्री रौशन कुमार साह, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, आमड़ापाड़ा के पदस्थापन अवधि में आमड़ापाड़ा प्रखण्ड अन्तर्गत इंदिरा आवास योजनाओं में अनियमितता की जाँच जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पाकुड़ द्वारा की गई थी । अनियमितता बरतने के आरोप पर पंचायत सेवकों/नाजिर आदि पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी । प्राथमिकी के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, पाकुड़ के द्वारा भी जाँच प्रतिवेदन समर्पित है । उक्त प्रतिवेदन में पंचायत सेवक/कनीय अभियंता/नाजिर/ बी०एच०ए०ओ० पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी । चूँकि श्री साह प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित थे । इसलिए उनके विरूद्ध उपायुक्त, पाकुड़ के द्वारा प्रपत्र- 'क' गठित किया गया है । इस मामले में तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, आमड़ापाड़ा, श्री रौशन कुमार साह के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए आरोप से मुक्त किया जा सकता है ।"

श्री साह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके बचाव बयान एवं उपायुक्त, पाकुड़ के मंतव्य की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत, श्री साह के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प

सं०-8941, दिनांक 18 अक्टूबर, 2016 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(IV) के तहत् एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित किया गया ।

उक्त दण्ड के विरूद्ध राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड के पत्रांक- 3292/रा०स०, दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 के माध्यम से श्री साह द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन विभाग को प्राप्त हुआ है ।

श्री साह द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी । समीक्षा में पाया गया कि इनके द्वारा अपील आवेदन में आरोपवार तथ्य समर्पित नहीं किया गया है एवं जो तथ्य समर्पित किया भी गया है, वह नया नहीं है, बल्कि उन्हीं तथ्यों को दुहराया गया है, जो इनके द्वारा स्पष्टीकरण में दिया गया है जिन पर पूर्व में विचार किया जा चुका है ।

अतः समीक्षोपरांत इनके अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है ।

उक्त पर सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 520--50